

स0.47(106)/2021- आर.टी.आई. सेल

17 मार्च 2022

सेवा में,

श्री किशोर कुमार कोचर,
सी-3/73-74, राजस्थानी अपार्टमेंट,
पीतमपुरा, दिल्ली-110034,

विषय:- RTI application Under RTI Act, 2005 – Reg.


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी आर०टी० आई एंप्लीकेशन दिनांक 21-02-2022 का अवलोकन करें जो कि इस कार्यालय में दिनांक 25.02.2022 को प्राप्त हुई है। संबन्धित अधिकारी द्वारा आपकी आर०टी० आई एंप्लीकेशन के संबंध में मांगी गई जानकारी निम्नानुसार है:

Sl. No.	Information sought	Information provided
1.	उपरोक्त हेरिटेज प्रोपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली के बारे में मैंने आपको दिनांक 09-01-2021 को एक आर टी आई एप्लिकेशन लगाई थी जिसका अपने दिनांक 29-01-2021 मेरी आर टी आई एप्लिकेशन का जबाब दिया था इस जबाब की कॉपी अपनी इस आर टी आई एप्लिकेशन के साथ लगा रहा हूँ। इस जबाब में अपने SI. न0 1 में लिखा है कि संबन्धित जानकारी अनुलग्नक 'क' पर सलंगन है अनुलग्नक 'क' DELHI GAZETTE: EXTRAORDINARY PART IV के अनुसार सीरियल न0 454 पर उपरोक्त प्रोपर्टी न0 944, मालीवारा में हवेली है। इस हवेली की जो फोटो ग्राफस आपके रेकॉर्ड में है मुझे उन सभी फोटो ग्राफस कि तसदीक शुदा कॉपी दी जाए।	बौद्धिक संपदा और प्रत्ययी संबंध मुद्दों के कारण क्रमशः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(डी) और 8(1)(ई) के तहत जानकारी (फोटो ग्राफस इत्यादि) का खुलासा नहीं किया जा सकता है।
2.	मुझे लिखित में जानकारी दी जाए कि उपरोक्त हेरिटेज/ हवेली प्रोपर्टी न0 944, मालीवारा, चाँदनी चौक, दिल्ली का निर्माण कार्य करने से संबन्धित आज तक HCC ने किसी को भी कोई अनुमति दी है या नहीं दी है अगर किसी को भी उपरोक्त हेरिटेज का निर्माण करी करने के लिए अनुमति दी है तो अनुमति पत्र कि तसदीक शुदा कॉपी भी दी जाए।	HCC द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गयी है।

यदि आप उपर्युक्त निर्णय के संबंध में कोई अपील करना चाहते हैं तो वह श्रीमती रूबी कौशल, सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, दिल्ली नगर कला आयोग, कोर-6ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को इस पत्र के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,



(अलका धीर)

निजी सचिव

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी